1333 // राज्य कर

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण-2022-23 //

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 19 जून, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

विषय :- **वर्ष 2022-23 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण ।**

शासन के पत्र संख्या- 11/2022/363-सामान्य/ सैतालीस-का-4-2022-1/3/96 दिनांक 15-06-2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति जारी की जा चुकी है। अतः वाणिज्यकर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति में दिये गये दिशा निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निम्न दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत् अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा ली जाये :-

1- (i) समूह ग के कार्मिकों के जोन के बाहर स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेगें। इसी प्रकार जोन के अन्तर्गत एक जिले से दूसरे जिले में भी स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेगें। यदि एक जिले में तैनात किसी कार्मिक की दूसरे जिले के सचलदल/वि0अनु0शा0 में तैनाती प्रस्तावित की जाती है तो विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करते समय इस आशय का भी प्रमाण पत्र दिया जाये कि सम्बन्धित कार्मिक विगत 03 वर्षो से सचल दल/ वि0अनु0शा0 कार्यालय में तैनात नहीं रहे है।

(ii) समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेगें। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेगें।

(iii) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेगें।

(iv) समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाए।

(v) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाये।

02- वाणिज्यकर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि 30 जून तक अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगें।

03- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश अराजपत्रित श्रेणी (समूह ग) के कार्मिकों के जोन के अन्तर्गत पटल परिवर्तन/ क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैतालीस-4-2022-(1-3-96) दिनांक 13-05-2022 तथा मुख्यालय के पत्र संख्या-1191 दिनांक 10-06-2022 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही करेगें।

04- प्रायः कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूँकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अतः ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण-2022-23 // 1333 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 19 जून, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2022-23 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों का वार्षिक स्थानान्तरण।

शासन के पत्र संख्या- 11/2022/363-सामान्य/ सैतालीस-का-4-2022-1/3/96 दिनांक 15-06-2022 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के लिए सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति जारी की जा चुकी है। अतः वाणिज्यकर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्देशित किया जाता है कि शासन द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति में दिये गये दिशा निर्देशों का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निम्न दिशा-निर्देशों के दृष्टिगत् अग्रेत्तर कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करा ली जाये :-

1- (i) समूह ग के कार्मिकों के जोन के बाहर स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेगें। इसी प्रकार जोन के अर्न्तगत एक जिले से दूसरे जिले में भी स्थानान्तरण विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेगें। यदि एक जिले में तैनात किसी कार्मिक की दूसरे जिले के सचलदल/वि0अनु0शा0 में तैनाती प्रस्तावित की जाती है तो विभागाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करते समय इस आशय का भी प्रमाण पत्र दिया जाये कि सम्बन्धित कार्मिक विगत 03 वर्षो से सचल दल/ वि0अनु0शा0 कार्यालय में तैनात नहीं रहे है।

(ii) समूह ग एवं घ के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेगें। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेगें।

(iii) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेगें।

(iv) समूह ग एवं समूह घ के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाए।

(v) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाये।

02- वाणिज्यकर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि 30 जून तक अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा आयुक्त राज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगें।

03- समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश अराजपत्रित श्रेणी (समूह ग) के कार्मिकों के जोन के अन्तर्गत पटल परिवर्तन/ क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैतालीस-4 -2022-(1-3-96) दिनांक 13-05-2022 तथा मुख्यालय के पत्र संख्या-1191 दिनांक 10-06-2022 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निर्धारित समयार्न्तगत कार्यवाही करेगें।

04- प्रायः कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूँकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अतः ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके

विरूद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये। इसके अतिरिक्त अपरिहार्य परिस्थिति में ही ऐसे कार्मिकों के जोन से बाहर स्थानान्तरण करने हेतु तर्कसंगत प्रस्ताव संलग्न प्रारुप-ख में जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था की जाये।

05- जोन के बाहर स्वेच्छा आधार पर स्थानान्तरण हेतु समस्त अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र / विकल्प संलग्न प्रारुप-क में कर्मचारी द्वारा अपने नियंत्रक, सम्भागीय अधिकारी के समक्ष 21 जून तक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जिसे सम्भागीय अधिकारी द्वारा संकलित करके अपने जोनल अपर आयुक्त को 23 जून तक प्रेषित किया जायेगा। यदि स्थानान्तरण की कार्यवाही अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्यकर, उत्तर प्रदेश के स्तर से की जानी है, तब इन आवेदन पत्रों को सम्भागीय / जोनल अधिकारी के स्पष्ट मत / संस्तुति सहित मुख्यालय पर संवर्गवार पृथक-पृथक आवरण पत्रों के माध्यम से दिनांक 24 जून तक प्रेषित किये जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यत: स्थानान्तरण के प्रस्ताव / प्रार्थना-पत्र प्रेषित न किये जायें।

06- वर्ष 2021-22 में जिन कार्मिकों द्वारा अपने संवर्ग में अथवा अन्य संवर्ग में की गयी पदोन्नति के पद को फोरगो करते हुये किन्ही कारणों से स्वीकार नहीं किया गया है और इस प्रकार की पदोन्नति को मुख्यालय द्वारा निरस्त भी किया जा चुका है, तो ऐसे कार्मिकों को उनके वर्तमान पटल / कार्यालय में किसी भी दशा में तैनात नहीं रखा जाएगा। ऐसे कार्मिकों की तैनाती कर निर्धारण / सचल दल / अपर आयुक्त (अपील) के कार्यालय में भी भविष्य में नहीं की जायेगी। इसके अतिरिक्त भविष्य में भी यदि किसी कार्मिक द्वारा अपनी पदोन्नति को फोरगो किया जाता है तो उसे तत्काल उसके वर्तमान तैनाती कार्यालय / पटल से उपरोक्तानुसार प्रत्येक दशा में स्थानान्तरित कर दिया जाए। अत: पदोन्नति फोरगों करने वाले कार्मिकों के सम्बन्ध में तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही अधिकृत जोनल अपर आयुक्त के स्तर पर सम्पादित करायी जायें।

07- भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से सम्बन्धित 08 जिले-चित्रकूट, चन्दौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहाँ तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाये।

08- आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जाये किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मन्त्री के अनुमोदनोंपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाये।

09- स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने सम्बन्धी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाये। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करें, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरुद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकार सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाये। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाये तथा उसकी सूचना सम्बन्धित कोषाधिकारी को दे दी जाये।

10- वाणिज्य कर मुख्यालय तथा वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर लखनऊ के कार्यालय को स्थानान्तरण की दृष्टि से एक ही कार्यालय माना जाएगा।

11- स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च को माना जायेगा।

12- चूँकि मनोरजन कर का संविलयन वाणिज्य कर विभाग में किया जा चुका है। अतः सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगें कि पूर्व मनोरंजन कर से सम्बन्धित कार्य भी सुचारु रुप से चलता रहें।

स्थानान्तरण सत्र 2022-23 के लिये स्थानान्तरण / पटल परिवर्तन के संबंध में उपर्युक्त प्राविधानों / निर्देशों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त नीतिगत निर्देश तद्नुसार संशोधित माने जायें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार (शासन द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति तथा निर्धारित स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रारुप-क व ख।

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनॉक // उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रारूप-क एवं प्रारूप-ख सहित प्रेषितः-

1- विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदय के अवलोकनार्थ।
3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6- समस्त अनुभाग अधिकारी राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
7- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक), राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
10- सहायक आयुक्त (पूर्व मनोरंजन कर विभाग) राज्य कर, जवाहर भवन, लखनऊ ।
11- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार (शासन द्वारा निर्गत स्थानान्तरण नीति तथा निर्धारित स्थानान्तरण सम्बन्धी प्रारुप-क व ख)।

19/06/2022
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या- 11/2022/363-सामान्य /सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2022

विषय:- सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष-2022-23

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में शासनादेश संख्या-3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29.03.2018 द्वारा निर्गत की गयी स्थानान्तरण नीति एवं स्थानान्तरण से संबंधित पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को विखण्डित करते हुये वर्ष 2022-23 में स्थानान्तरण नीति निर्धारित की जाती है ।

2. समूह 'क' एवं 'ख' के अधिकारियों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-

(i) जनपदों में समूह 'क' एवं समूह 'ख' के अधिकारी जो अपने सेवाकाल में संबंधित जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त जनपदों से स्थानान्तरित कर दिया जाय। इसी प्रकार समूह 'क' एवं समूह 'ख' के जो अधिकारी अपने सेवाकाल में एक मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हों, को उक्त मण्डल से स्थानान्तरित कर दिया जाय। विभागाध्यक्ष/मण्डलीय कार्यालयों में की गयी तैनाती अवधि को स्थानान्तरण हेतु उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जायेगा। मण्डलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी तथा इस हेतु सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के स्थानान्तरण प्राथमिकता के आधार पर किये जायेंगे।

(ii) विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागाध्यक्ष को छोड़कर यदि समूह 'क' तथा समूह ख' के अन्य अधिकारियों के समकक्ष पद मुख्यालय के बाहर विद्यमान हैं, तो मुख्यालय/विभागाध्यक्ष कार्यालय में 03 वर्ष कार्यरत रहने वाले अधिकारियों को उनके समकक्ष पदों पर मुख्यालय से बाहर स्थानान्तरित कर दिया जाए किन्तु जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि को उक्त निर्धारित अवधि में न गिना जाए। जनपदों व मण्डलों में तैनाती की अवधि एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में तैनाती की अवधि को अलग-अलग माना जाए।

(iii) उपरोक्तानुसार समूह 'क' एवं 'ख' के स्थानान्तरण संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक ही किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता होने पर मा0 मुख्यमंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iv) समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संबंधित विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा किये जायेंगे।

1– यह भासनादे ा इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आव यकता नही है।
2– इस भासनादे ा की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

(v) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त समूह 'क' के कार्मिकों के संबंध में मा0 विभागीय मंत्री के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर स्थानान्तरण करना अनुमन्य होगा। समूह 'ख' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु मा0 विभागीय मंत्री का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

3. **समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किये जायेंगे:-**

(i) समूह 'ग' के कार्मिको के स्थानान्तरण संबंधित विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से किये जा सकेंगे।

(ii) समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण संवर्गवार कुल कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे। उक्त निर्धारित 10 प्रतिशत से अधिक तथा अधिकतम 20 प्रतिशत की सीमा तक स्थानान्तरण की अपरिहार्यता की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(iii) स्थानान्तरण सत्र की अवधि की समाप्ति के उपरान्त अपरिहार्य परिस्थितियों में समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किये जा सकेंगे।

(iv) समूह 'ग' एवं समूह 'घ' के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-5 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जाएं ।

(v) इसके अतिरिक्त समूह 'ग' हेतु पटल परिवर्तन/क्षेत्र परिवर्तन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-8/2022/सा0-119/सैंतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक13 मई,2022 द्वारा निर्गत व्यवस्था का अनुपालन समूह 'ग' के समस्त कार्मिकों (प्रदेश/ मण्डल/ जनपद स्तर) के संबंध में कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

4. **अन्य मार्गदर्शक सिद्धांत:-**

(i) संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले कार्मिकों की तैनाती संवेदनशील पदों पर कदापि न की जाए।

(ii) समूह 'क' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नहीं किया जायेगा।

(iii) समूह 'ख' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जायेगा, परन्तु प्रतिबंध यह है कि उक्त प्राविधान केवल जनपद स्तरीय विभागों/कार्यालयों में लागू होंगे।

(iv) भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जिले-चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच एवं प्रदेश के घोषित 100 आकांक्षी विकास खण्डों में प्रत्येक विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में समस्त पदों पर तैनाती करके संतृप्त कर दिया जायेगा एवं 02 वर्ष बाद वहां तैनात कार्मिकों से विकल्प प्राप्त कर उन्हें स्थानान्तरित किया जाए।

(v) स्थानान्तरण सत्र की निर्धारित अवधि के उपरान्त सामान्यत: स्थानान्तरण के प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें।

(vi) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट-आफ-डेट 31 मार्च को माना जायेगा।

(vii) यह प्राविधान उत्तर प्रदेश सचिवालय में लागू नही होंगे ।

1– यह भासनादे । इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आव यकता नहीं है।
2– इस भासनादे । की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

5. विभागों द्वारा निम्न परिस्थितियों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निम्नवत स्थानान्तरण किये जा सकेगें:-

(i) प्रशासनिक दृष्टि से आवश्यकतानुसार कभी भी स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(ii) प्रोन्नति, सेवा-समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि स्थितियों में स्थानान्तरण किये जा सकेंगे।

(iii) किसी अधिकारी/कर्मचारी के व्यक्तिगत कारण, जैसे-चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर, स्थान रिक्त होने अथवा दूसरे अधिकारी/कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण/समायोजन किया जा सकेगा, बशर्ते कि उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो।

(iv) यदि पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हों, तो उन्हें यथासंभव एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने हेतु स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

(v) मंदित बच्चों के माता-पिता की तैनाती, अधिकृत सरकारी चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर, विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाय, जहां चिकित्सा की समुचित व्यवस्था उपलब्ध हो।

(vi) दिव्यांग कार्मिकों अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारीजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखा जाय। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से ही किये जायें। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे उसके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(vii) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए, इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासम्भव विचार किया जाय।

6. आय-व्ययक में स्थानान्तरण यात्रा व्यय की मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही स्थानान्तरण किये जायें किन्तु अपरिहार्य कारणों से यदि प्राविधानित सीमा से अधिक धनराशि व्यय होती है, तो मा0 विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त, वित्त विभाग की सहमति से पुनर्विनियोजन कराकर, आय-व्ययक में अतिरिक्त धनराशि का प्राविधान कराया जाय।

7. शासन स्तर, विभागाध्यक्ष स्तर, मण्डल स्तर एवं जिला स्तर के समस्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र 2022-2023 में दिनांक 30 जून, 2022 तक पूर्ण कर लिये जायें।

8. यदि किसी विभाग द्वारा विभाग की विशिष्ट आवश्यकताओं यथा स्थानान्तरण समय में परिवर्तन, भौगोलिक आवश्यकताओं अथवा किसी विशिष्ट योजना के संदर्भ में स्थानान्तरण नीति में कोई परिवर्तन अपेक्षित हो, तो मा0 विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

9. समूह 'ख एवं समूह 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण यथासम्भव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किये जाए ।

10. प्रोन्नति/सीधी भर्ती की नव नियुक्ति के आधार पर की जाने वाली तैनातियों को स्थानान्तरण हेतु निर्धारित प्रतिशत की सीमा में नहीं गिना जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य आधारों पर यदि स्थानान्तरण, स्थानान्तरण सत्र में किये जाते हैं तो उन्हें संबंधित समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' हेतु निर्धारित प्रतिशत की परिधि में गिना जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in/

1– यह भासनादे ा इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आव यकता नही है।
2– इस भासनादे ा की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in/ से सत्यापित की जा सकती है।

11. स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त किया जाना:-

(i) स्थानान्तरण आदेशों में कार्मिकों को अवमुक्त करने की तिथि के संबंध में यह निर्देश अंकित किये जाने चाहिए कि वे आदेश जारी किये जाने के दिनांक से अमुक तिथि/एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण कर लें और संबंधित प्राधिकारी स्थानान्तरित कार्मिकों को तद्नुसार तत्काल अवमुक्त कर दें। स्थानान्तरित कार्मिकों को निर्धारित समय में कार्यमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी और जो अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों का पालन न करते हुए, संबंधित कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे, के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

(ii) स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा नवीन तैनाती के पद पर समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उन्हें स्वतः कार्यमुक्त किया जा सकेगा।

(iii) स्थानान्तरित कार्मिकों के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाए।

(iv) भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश की आकांक्षी जिला योजना (Aspirational Districts Scheme) से संबंधित 08 जनपदों एवं बुन्देलखण्ड के समस्त जनपदों में तैनात कार्मिकों को उनके नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा तब तक अवमुक्त न किया जाए, जब तक कि उनके प्रतिस्थानी द्वारा कार्यभार ग्रहण न कर लिया जाय। यह प्रतिबंध आई.ए.एस./आई.पी.एस./पी.सी.एस.एवं पी.पी.एस. अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

12. सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण:-

सरकारी सेवकों के मान्यता प्राप्त सेवा संघों के अध्यक्ष/सचिव, जिनमें जिला शाखाओं के अध्यक्ष एवं सचिव भी सम्मिलित हैं, के स्थानान्तरण, उनके द्वारा संगठन में पदधारित करने की तिथि से 02 वर्ष तक न किये जायें। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो, तो स्थानान्तरण हेतु प्राधिकृत अधिकारियों से एक स्तर उच्च अधिकारी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय। जिला शाखाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण प्रकरणों पर जिलाधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाए।

13. स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश:-

स्थानान्तरित कार्मिकों के स्थानान्तरण रोकने संबंधी प्रत्यावेदनों को अग्रसारित न किया जाए। यदि कोई सरकारी सेवक ऐसे आदेशों के विरूद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे, तो उसके इस कृत्य/आचरण को 'सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956' के नियम-27 का उल्लंघन मानते हुए, उसके विरूद्ध 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999' यथा संशोधित के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए, निलम्बन के संबंध में भी विचार किया जाए। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के वेतन का भुगतान न किया जाए तथा उसकी सूचना संबंधित कोषाधिकारी को दे दी जाए।

14. चार्ज नोट:-

नवीन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त, संबंधित अधिकारी को कार्य की जानकारी होने में किंचित समय लगना स्वाभाविक है, अतः स्थानान्तरित अधिकारी को चाहिए कि वे महत्वपूर्ण

http://shasanadesh.up.gov.in/

1– यह भाासनादे ा इलेक्ट्रानिक्ली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आव यकता नही है।
2– इस भाासनादे ा की प्रमाणिता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in

प्रकरणों/विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं आदि के संबंध में एक चार्ज नोट बना दें ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो।

15. जनहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मा0 मुख्य मंत्री द्वारा कभी भी किसी भी कार्मिक को स्थानान्तरित किये जाने के आदेश दिये जा सकेंगे।

16. इस स्थानान्तरण नीति में विचलन, कार्मिक विभाग के परामर्श के उपरान्त मा0 मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकेगा।

17. उपरोक्त स्थानान्तरण नीति में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्धन मा0 मुख्यमंत्री द्वारा किया जा सकेगा ।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या--11/2022/363-सामान्य /सैंतालीस-का-4-2022-1/3/96, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री ।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadeshup.gov.in/

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण-2022-23 // 1191 // राज्य कर

कार्यालय-आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 10 जून, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त,

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के पत्र संख्या- 8/2022/सा0-119/सैतालिस-4-2022-(1/3/96) दिनांक 13-05-2022 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त प्रतिवर्ष 30 जून तक अनिवार्य रुप से किये जाने हेतु आयुक्त महोदया के अनुमोदनोपरान्त पत्र संख्या-962 दिनांक 27-05-2022 द्वारा निर्देश जारी किये गये है।

शासन के पत्र दिनांक 13-05-2022 में दिये गये निर्देशानुपालन में समूह ग के कार्मिकों का पटल परिवर्तन एवं क्षेत्र (फील्ड) में तैनात/ कार्यरत कार्मिकों का क्षेत्र परिवर्तन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये जाते है :-

1- शासन के उपरोक्त पत्र के माध्यम से स्थानान्तरण सत्र् 2022-23 में समूह ग के कार्मिकों के मुख्यालय/ जोन के अन्तर्गत पटल/ क्षेत्र परिवर्तन करने के लिए समस्त विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों को दिनांक 30 जून करने के निर्देश दिये गये है। चूँकि लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर व वाराणसी जोन में एक से अधिक अपर आयुक्त ग्रेड-1 तैनात हैं, अत: यहां तैनात अपर आयुक्त ग्रेड-1 जोन प्रथम को जोन प्रथम एवं जोन द्वितीय के कार्मिकों के स्थानान्तरण की कार्यवाही समिति के माध्यम से किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है। समिति में दोनों जोन के अपर आयुक्त ग्रेड-1 तथा दोनों जोन के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) सदस्य होगें।

2- करनिर्धारण एवं गैर करनिर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

क- सचलदल कार्यालय - एक वर्ष

ख- वि0अनु0शा0 एवं प्रवर्तन कार्यालय- दो वर्ष

ग- कर निर्धारण कार्यालय - तीन वर्ष

घ- गैर कर निर्धारण कार्यालय - दो वर्ष

च- अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील) राज्य कर कार्यालय तथा टैक्स आडिट कार्यालय को भी कर निर्धारण कार्यालय की परिधि में माना जाये।

(कर निर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की गणना कार्मिक के कर निर्धारण कार्यालय से सम्बद्ध रहने की अवधि को भी कर निर्धारण कार्यालय में कार्यरत मानते हुये की जाये।)

3- सचलदल से वि0अनु0शा0 में एवं वि0अनु0शा0 से सचलदल में तैनाती नहीं की जाएगी। जो कार्मिक गत वर्ष इन इकाईयों / कार्यालयों में तैनात रहे हैं, उन्हे 03 वर्षों तक इन कार्यालयों में तैनात न किया जाये। इसके अतिरिक्त इन इकाईयों में तैनाती अवधि के दौरान समूह "ग" श्रेणी के जिन कार्मिकों की दूषित कार्यप्रणाली के कारण उनके विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है, ऐसे कार्मिकों को भी जनहित / राजस्व हित में इन इकाईयों में तैनात न किया जाये।

4- विभाग के विभिन्न कार्यालयों में कार्मिकों की तैनाती मुख्यालय के पत्र संख्या-1035 दिनांक 19-06-2015 द्वारा किये गये पदवार आवंटन के अनुरुप की जायेगी एवं किसी भी कार्मिक का अन्य कार्यालय में सम्बद्धीकरण किसी भी दशा में नहीं किया जाये।

6- स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दबाव डलवाने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुये नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायें।

7- प्राय: कतिपय कार्मिकों के विरुद्ध उनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता एवं प्रतिकूल आचरण अपनाये जाने की शिकायतें प्राप्त होती रही हैं तथा इस आधार पर ऐसे कार्मिकों को स्थानान्तरित किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। चूँकि इस प्रवृत्ति के कर्मचारी का स्थानान्तरण किये जाने से उसके विरुद्ध न तो दण्डात्मक कार्यवाही प्रभावी हो पाती है और न ही इससे कर्मचारियों के आचरण में अपेक्षित सुधार हो पाता है। अत: ऐसे कार्मिकों को तत्काल कर निर्धारण कार्यालय / संवेदनशील कार्यालय से स्थानान्तरित करते हुये उनके विरूद्ध सुसंगत नियमावली में दिये गये प्राविधानानुसार सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से अनुशासनिक कार्यवाही भी प्रारम्भ करायी जाये।

09/06/2022

(सुधा वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सॅख्या :: एवं दिनॉक :: उक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- विशेष सचिव, राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश महोदया के अवलोकनार्थ।
3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
4- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन/अपील/सर्वोच्च न्यायालय कार्य/उच्च न्यायालय कार्य) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6- समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त उपायुक्त (प्रशासन) / सहायक आयुक्त (ए) राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त उपायुक्त/ सहायक आयुक्त राज्य प्रतिनिधि, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
9- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख राज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

स्वेच्छा आधार पर अराजपत्रित श्रेणी के कार्मिकों का एक जनपद/जोन से दूसरे जनपद/जोन में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र

प्रारुप-क

1. कर्मचारी का नाम एवं आई0डी0नं0 --
2. पदनाम --
3. गृह जनपद --
4. विभाग में नियुक्ति की तिथि ------------------------------ आगामी सेवानिवृत्ति की तिथि ------------------------------
5. वर्तमान तैनाती कार्यालय का पूरा नाम (जनपद सहित) : --
6. वर्तमान तैनाती कार्यालय के जनपद में कब से तैनात है : --
7. विगत 05 वर्षो में कर्मचारी की तैनाती का विवरण :-

क्र0सं0	वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक ----- से दिनांक ----- तक)
1	2016-17		
2	2017-18		
3	2018-19		
4	2019-20		
5	2020-21		

8. स्थानान्तरण हेतु अपेक्षित जनपद/जोन का नाम (वरीयता क्रम में) :- --
9. स्थानान्तरण चाहने का कारण (प्रमाण संलग्न करें) --
10. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा अथवा मेरे परिवार के किसी सदस्य द्वारा मेरे स्थानान्तरण हेतु कोई प्रार्थना पत्र न तो सीधे न ही किसी अन्य श्रोत से किसी उच्चाधिकारी को भेजा गया है, और न ही राजनीतिक / वाह्य दबाव डलवाया गया है।
11. मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि स्थानान्तरण हेतु मेरे द्वारा किसी प्रकार का गैर विभागीय अथवा राजनीतिक दबाव डलवाने का कोई प्रयास भी नहीं किया जायेगा।

दिनॉक:----------------------

कर्मचारी के हस्ताक्षर

कर्मचारी के सेवा अभिलेख से प्रमाणित डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असि0कमिश्नर(ए) की अभ्युक्ति

1- श्री :----------------------------------के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अथवा प्रतिकूल कार्यवाही चल / नहीं चल रही है।

2- श्री :----------------------------------की वर्तमान तैनाती प्रशासनिक आधार नहीं की गयी है।

3- कर्मचारी द्वारा स्तम्भ-9में दिये गये कारण से सहमत/असहमत हूँ, अतः स्थानान्तरण की संस्तुति की/नहीं की जाती है।

हस्ताक्षर पदनाम (मुहर सहित)

ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्यकर की स्पष्ट संस्तुति।

हस्ताक्षर (मुहर सहित)

-:: प्रमाण पत्र ::-

प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मूल रुप में मय संलग्नक मुख्यालय को अग्रसारित किया जा रहा है। कर्मचारी का स्थानान्तरण इस जोन से अन्यत्र हो जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही है।

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर हस्ताक्षर (मुहर सहित)

प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण हेतु संस्तुति

प्रारुप-ख

1- कर्मचारी का नाम --

2- पदनाम --

3- वर्तमान तैनाती का कार्यालय / जनपद / जोन / अनुभाग का नाम --
एवं तैनाती की तिथि --

4- गृह जनपद --

5- क्या वर्तमान में कर्मचारी मान्यता प्राप्त संघ --
का पदाधिकारी है यदि हॉ तो किस पद पर व कब से तथा
शासन की स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर-13 के अन्तर्गत
सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है ।

6- वर्तमान तैनाती के पूर्व 5 वर्षो की तैनातियों का विवरण:-

क्र0सं0	वर्ष	कार्यालय व पटल / अनुभाग का नाम	अवधि (दिनांक-- से दिनांक-- तक)
1	2016-17		
2	2017-18		
3	2018-19		
4	2019-20		
5	2020-21		

7- प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में सभी
तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख करते हुये संस्तुति ।

संस्तुति करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर
तथा पदनाम (मुहर सहित)

8- जो प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किया जा रहा है , उससे मैं सहमत हूँ ।

जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्यकर
हस्ताक्षर (मुहर सहित)